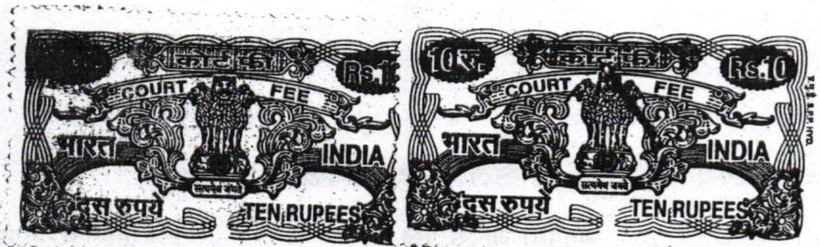

निगरानी प्रकरण क्रमांक :

प्रस्तुति दिनांक : 21 / 11 / 2017

रा.रा. माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/खरगोन/भू.रा./2017/4657

नागिया पिता सदाशिव

निवासी–ग्राम–रणगांव, तहसील–खरगोन

जिला – खरगोन, (म.प्र.)

... प्रार्थी

विरूद्ध

1. मंगत पिता घुसाई पटेल,
2. कड़वा पिता घुसाई पटेल,
3. राजाराम पिता घुसाई पटेल,

सभी निवासी – ग्राम–रणगांव, तहसील–खरगोन,

जिला–खरगोन (म.प्र.)

... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

प्रार्थीगण द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील खरगोन जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/ अ–13/17–18 में पारित आदेश दिनांक 01/11/2017 से व्यथित होकर अपनी निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (नागिया / मंगत)

प्रकरण कमांक पीबीआर / निग / खरगोन / भू.रा. / 17 / 4657 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.12.2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार तहसील खरगोन जिला खरगोन के प्रकरण कमांक 1 / अ–13 / 17–18 में पारित आदेश दिनांक 1–11–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत अन्तरनिहित शक्तियों का उपयोग कर अंतरिम रूप से आदेश पारित आवेदक को रास्ते के अवरोध को हटाकर रास्ता चालू करने के निर्देश दिये गये है, प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है अतः तहसील न्यायालय में आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।	

अध्यक्ष